भीम BHIM

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

क्रमांकः एफ,3(2)( ) बजट/सान्याअवि/2018–19/3382 जयपुर, दिनांक 18.09.2020

समस्त उप निदेशक/सहा.निदेशक,
समस्त नारी निकेतन/महिला सदन/वृद्धाश्रम,
समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,
समस्त प्रधानाचार्य, आवासीय विदयालय,
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross salary) से कटौती किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– वित्त विभाग (आंय–व्ययक अनुभाग) पत्र कमांक प.3(1)वित्त–1(1)/आ. व्यय/2004 पार्ट–I जयपुर, दि0 08.9.2020 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) द्वारा कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये माह सितम्बर 2020 के सकल वेतन से प्रतिमाह कटौती जारी करने के सम्बंध में पत्र जारी किया गया है(प्रतिलिपि सलंग्न)। अतः पत्र में जारी दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करावे।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ओ. पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांकः– 18.09.2020

कमांकः एफ. 3(2)बजट/सान्साअवि/20–21/3382
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः–
1. अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन)।
2. समस्त आयोग/बोर्ड, सान्याअवि।
3. अम्बेडकर पीठ।
4. अनुजा निगम/अ.पि.व. वि. एवं वि. सह. निगम।
5. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) को पोर्टल पर अपलोड एवं पत्र में अंकित समस्त कार्यालयों को ई–मेल हेतु।
6. रक्षक पत्रावली।

17.9.2020
(आर.एल.परसोया)
वित्तीय सलाहकार

भीम

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्यय अनुभाग)

for circulate
Sr. AO
AAO (B)

क्रमांकः प.3(1)वित्त–1(1)/आ.व्यय./2004 पार्ट–। जयपुर, दिनांक 08. सितम्बर, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलैक्टर्स सहित)

विषय :– कोविड–19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौति किये जाने हेतु।

महोदय,

कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 108/2020 दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में माह सितम्बर, 2020 देय अक्टूबर, 2020 के सकल वेतन (Gross Salary) से प्रतिमाह निम्नांकित अनुसार कटौति की जावेगी :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	कटौति दिवस
1.	अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/प्रशिक्षु)	दो दिवस
2.	केन्द्र सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/प्रशिक्षु)	दो दिवस
3.	राज्य सेवा के समस्त अधिकारी (नियमित/प्रशिक्षु)	दो दिवस
4.	राज्य के अन्य समस्त अधिकारी एवं कार्मिक (नियमित/प्रशिक्षु)	एक दिवस

यह आदेश राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, आयोग, स्वायत्तशासी संस्था, उपक्रम, सहकारी समितियों इत्यादि पर भी लागू होगा।

उक्त आदेश निम्न पर लागू नहीं होगाः–

1. राजस्थान उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश एवं पदस्थापित समस्त अधिकारी/कार्मिक।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदस्थापित समस्त अधिकारी एवं कार्मिक।
3. पुलिस कांस्टेबल, पुलिस विभाग।
4. राज्य सरकार के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वे कर्मचारी जो वेतनमान L–1 से L–4 की श्रेणी में वेतन आहरित कर रहे हैं।

उपरोक्तानुसार कटौति की गई राशि **बजट मद–8448–स्थानीय निधियों की जमा, 120–अन्य निधियां, (07)–राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष, [10]–कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायतार्थ** में जमा की जायेगी।

संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु वेतन से कटौति की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौती विवरण पत्र सलंग्न किया जायेगा। संबंधित कोषागार द्वारा उक्त मद में जमा की गई राशि को संकलित किया जाकर उसी माह में सचिवालय कोष को स्थानान्तरित किया जावेगा।

संकलित राशि की सूचना कोषाधिकारियों द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जायेगी।

भवदीय,

(निरंजन आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

क्रमांक प.3(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2004 पार्ट–I दिनांक : सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता तथा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि उनके अधीन सोसायटीज/स्थानीय निकाय/स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि के संबंध में भी उपरोक्तानुसार आदेश जारी करवाने का श्रम करें।
6. शासन सचिव, मंत्रिमण्डल, सचिवालय को मंत्रिमण्डल आज्ञा कमांक 108/2020 दिनांक 03.09.2020 की अनुपालना में प्रेषित है।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को आई.एफ.एम.एस.–पे मैनेजर पर कटौति हेतु आवश्यक प्रावधान कराये जाने हेतु।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य के समस्त बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में भी उपरोक्तानुसार आदेश जारी करवाने का श्रम करें।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन बिलों से की गई कटौति से बजट मद 8448–120–(07)–[10] में जमा राशि उसी माह में कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के पी.डी. खाते में जमा करने हेतु हस्तान्तरित करेंगें।

शासन सचिव, वित्त (बजट)